



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935

No. 313]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2014

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th February, 2014

का.आ. 375 (अ).—शहरी विकास मंत्रालय के असाधारण राजपत्र में दिनांक 13 मई, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 1215(अ) में निम्नलिखित शुद्धिपत्र अधिसूचित किया जाता है :—

- (i) पैरा 4.4.3 ख-आवासीय प्लॉट-समूह आवास के अन्तर्गत क्रम सं. 6 के बिन्दु संख्या "(V)" को "(IV)" पढ़ा जाए।
- (ii) अध्याय 15.0-मिश्रित उपयोग विनियम शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं. 18 में "पैरा 15.7.1 उप पैरा (ड)" शब्द को "पैरा 15.3.2 1. श्रेणी क एवं ख में आने वाली कालोनियों में" पढ़ा जाए।
- (iii) अध्याय 15.0-मिश्रित उपयोग विनियम शीर्ष के अन्तर्गत क्रम सं. 19 में शब्द "पैरा 15.3.2 1. श्रेणी क एवं ख में आने वाली कालोनियों में" को "पैरा 15.7.1 उप पैरा (ड)" पढ़ा जाए।

2. मुख्य अधिसूचना दिनांक 07-02-2007 को का. आ. 141(अ) द्वारा अधिसूचित की गई थी।

[फा. सं. के-12011/9/2012-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

S.O. 375 (E).— The following corrigenda is notified in Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1215 (E), dated 13th May, 2013:

- (i) Point no. "(V)" at S. No. 6 under para 4.4.3 B- Residential Plot-Group Housing shall be read as "(iv)".
- (ii) The word "Para 15.7.1 sub-para (e)" at S. No. 18 under head Chapter 15.0 - Mixed use Regulations shall be read as "Para 15.3.2 1. In colonies falling in categories A and B".
- (iii) The word "Para 15.3.2 1. In colonies falling in categories A and B" at S.No. 19 under head Chapter 15.0. Mixed use Regulations shall be read as "Para 15.7.1 sub-para (e)".

2. The principal Notification was notified vide S.O. 141 (E) dated 7-2-2007.

[F. No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.